

L. A. BILL No. III OF 2024.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३ सन् २०२४।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९५१ का १२। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः, भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :-

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

सन् १९५१ का १२ की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (जिसे इसमें आगे, “ मूल अधिनियम ” कहा गया है) की धारा २, के खण्ड (१४क-१) में, “ राजमार्ग यातायात ” शब्दों के पश्चात्, “ पुलिस संचारण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और मोटर परिवहन विभाग ” शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

सन् १९५१ का १२ ।

सन् १९५१ का महा. १२ की धारा २२अ-३ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा २२अ-३, की, उप-धारा (१) में, “ राजमार्ग यातायात ” शब्दों के पश्चात्, “ पुलिस संचारण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और मोटर परिवहन विभाग ” शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (सन १९५१ का २२) की धारा २२अ-३, यह राज्य पुलिस दल के विशेष अभिकरणों के स्तर पर पुलिस संस्थापना बोर्डों के गठन के लिए उपबंध करती है। विशेष अभिकरणों में अपराध अन्वेषण विभाग, राज्य आसूचना विभाग, सिविल अधिकारों का संरक्षण, भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, राज्य रिजर्व पुलिस दल, आतंकवाद-निरोध दल, राजमार्ग यातायात और प्रशिक्षण निदेशालय समाविष्ट है, तथापि, पुलिस संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और मोटर परिवहन विभाग का समावेश नहीं किया गया है।

२. इसलिए, सरकार, विशेष अभिकरणों में पुलिस संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और मोटर परिवहन विभाग का समावेश करना इष्टकर समझती है। इसलिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा २ और धारा २२अ-३ में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २१ फरवरी, २०२४।

देवेन्द्र फडणवीस,
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २५ फरवरी, २०२४।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) कार्यभार,
महाराष्ट्र विधानसभा।